प्रथम पत्रक

कार्यालय अंचल अधिकारी, जरीडीह

अनुसूची 14 – फारम सं0 562

अभिलेख संख्या 28/2024-25

आदेश – पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक – ता0 .... से .... तक

जिला – बोकारो

केस का प्रकार :– विविधि वाद (ऑनलाईन जमाबंदी सृजन)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
02/03/25	आवेदिका गीता रानी पति परितोष कुमार प्रजापति साकिन गांगजोरी, थाना– जरीडीह, जिला– बोकारो के द्वारा अपने भूमि मौजा– गांगजोरी, थाना सं0 – 92 के खाता– 43, प्लॉट– 668, रकबा– 1.25 ए0 मध्ये 8.75 डी0 भूमि का ऑनलाईन पंजी II में जमाबंदी दर्ज करने हेतु आवेदन समर्पित कर अनुरोध किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करते हुए, आपत्ति हेतु आम ईस्तहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक– 20/03/25 को उपस्थापित करें। 02/03/25 अंचल अधिकारी जरीडीह। 02/03/25 अंचल अधिकारी जरीडीह।	
20.03.25	अभिलेख उपस्थापित। आम ईस्तहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गयी है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। अभिलेख दिनांक– 20.04.25 को उपस्थापित करें। 20/03/25 अंचल अधिकारी जरीडीह।	
25.04.25	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक/ अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदिका गीता रानी पति परितोष कुमार प्रजापति साकिन गांगजोरी, थाना– जरीडीह, जिला– बोकारो द्वारा प्राप्त आवेदन में वर्णित भूमि आवेदित भूमि मौजा– गांगजोरी, थाना सं0 – 92 के खाता– 43, प्लॉट– 668, रकबा– 8.75 डी0 भूमि रैयती खाते की भूमि है। केवाला सं0– 4331, दिनांक– 28.07.2014 के द्वारा आवेदिका स्वयं गीता रानी पति परितोष कुमार प्रजापति के नाम से खरीदगी हासिल है। जिसका नामांतरण वाद संख्या 40/15–16 स्वीकृत होकर लगान रसीद गीता रानी पति परितोष कुमार प्रजापति के नाम निर्गत हो रहा है, जो भौतिक पंजी 2 के भाग 04 पृष्ठ 88 में दर्ज है, तथा लगान रसीद, शुद्धि पत्र का मिलान R27 पंजी से किया जो सही पाया, परन्तु भौतिक पंजी 2 के आलोक में ऑनलाईन पंजी 2 में जमाबंदी दर्ज नहीं होने के कारण लगान रसीद निर्गत नहीं हो रहा है, जिससे राजस्व की हानि हो रही है। उक्त के आलोक में मौजा– गांगजोरी, थाना सं0 – 92 के खाता– 43, प्लॉट– 668, रकबा– 8.75 डी0 की जमाबंदी ऑनलाईन पंजी II में दर्ज किया जा सकता है। अतः राजस्व निबंधन भूमि सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के आदेश ज्ञापांक– 1857 दिनांक– 29.07.2020 में दिए गये दिशा निर्देश तथा राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन, भौतिक पंजी II आवेदिका द्वारा समर्पित कागजात [illegible] भूमि के जमाबंदी का सृजन "गीता रानी पति परितोष [illegible] जोरी" के नाम से ऑनलाईन पंजी II में प्रविष्टि करने की [illegible] है। लेखापित एवं शुद्धित। 25/04/25 अंचल अधिकारी जरीडीह। 25/04/25 अंचल अधिकारी जरीडीह।	

Digitally signed by PRANAV RITURAJ
Date: 2025.06.11 14:06:12 +05:30
Location: 10.93.250.200